कार्यालय- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), झारखण्ड, रांची- 2

पत्रांक- दिनांक-

प्रेषक,

जे०बी०जौहर, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
झारखण्ड, रांची- 2

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
झारखण्ड सरकार, रांची

विषय :- वित्तीय वर्ष 2008-09 में कार्यान्वित की जानेवाली "मूल्यांकन-सह-योजना कोषांग" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) अन्तर्गत कुल 5.00 लाख रु० (पाँच लाख रु०) का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है । यद्यपि विभाग के अन्दर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी वनरोपण क्षेत्रों में उत्तरजीविता का आकलन दो बार-पहली अक्टूबर में तथा दूसरी बार अगले वर्ष की अप्रैल माह में किया जाता है तथा विभाग में वर्तमान में एक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारियों के अधीन योजनाओं के अनुश्रवण के लिए आन्तरिक अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है। क्योंकि यह कार्य विभाग द्वारा आंतरिक व्यवस्था के माध्यम से कराया जाता है अत: सरकार के स्तर से निर्णय लिया गया है कि पूर्ववर्त्ती वर्षो में किए गए वृक्षारोपण कार्यो का मूल्यांकन स्वतंत्र बाह्य एजेंसी से कराया जाना चाहिए । वित्तीय वर्ष 2008-09 में इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में किये गये वृक्षारोपण का बाह्य स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से मूल्यांकन कराया जाना प्रस्तावित है ।

2. यह एक वर्ष की योजना है । प्रस्तावित राशि से वर्ष 2007-08 में किए गए वृक्षारोपण का मूल्यांकन कराया जायेगा ।

3. इस योजना के लिए रू० 5.00 लाख का बजट उपबन्ध निम्नवत स्वीकृत है । योजना बजट मुख्य शीर्ष- 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, जनजातीय उप योजना, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष- 12 मूल्यांकन-सह-योजना कोषांग योजना के विस्तृत शीर्ष 03 प्रशासनिक व्यय एवं विस्तृत शीर्ष- 04 मोटर गाड़ियाँ अन्तर्गत 5.00 लाख रुपये की राशि का उपबंध निम्नलिखित प्रार्थमिक इकाईयों में प्रस्तावित है ।

क) कार्यालय व्यय	-	रू०	3.00	लाख रू0
ख) मोटर गाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	-	रू०	2.00	लाख रू0
कुल	:-	**रू०**	**5.00**	**लाख** रू0

4. वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यो से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि सह उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की गयी है, प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

5. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बजट उपबन्ध निम्नवत स्वीकृत है । योजना बजट मुख्य शीर्ष 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन उप मुख्य शीर्ष– 01 वानिकी, जनजातीय उप योजना, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष– 12 मूल्यांकन–सह–योजना कोषांग योजना के विस्तृत शीर्ष– 03 प्रशासनिक व्यय एवं विस्तृत शीर्ष– 04 मोटर गाड़ियॉं अन्तर्गत 5.00 लाख रुपये की राशि निम्नलिखित प्रार्थमिक इकाईयों में विकलनीय होगी ।

क) कार्यालय व्यय	–	रू०	3.00	लाख रू0
ख) मोटर गाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	–	रू०	2.00	लाख रू0
कुल	**:–**	**रू०**	**5.00**	**लाख** रू0

6. वित्तीय वर्ष 2008–09 में कार्यान्वित की जानेवाली योजना हेतु उप वन संरक्षक, योजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ इन कार्यो के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे ।

अत: अनुरोध है कि योजना का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनु0यथोक्त ।

आपका विश्वासी,

(जे०बी०जौहर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची– 2

ज्ञापांक– **दिनांक–**

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक योजना अंचल झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

(जे०बी०जौहर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची– 2